प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या....84/2023.... दिनांक....13/4/2023...

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण 1988(यथा संशोधन 2018), धाराः-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018)

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः- --------------------------------

(3) अधिनियम ------------------------------------- धारायेः-------------------------------

(4) अन्य अधिनियम व धारायेः- --.

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ----237-------समय----5:55 PM.-----------

(ब) अपराध के घटने का दिनः- गुरुवार, दिनांक 05.01.2023 समय 05.30 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 05.01.2023 समय 11.30 ए.एम.

4. सूचना की किस्मः- हस्त-लिखित

5. घटनास्थलः-

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- चौकी से बदिश दक्षिण-पश्चिम, बफासला करीबन 75 किलोमीटर दूर

(ब) पताः- पुलिस थाना के पिछे मालवीय नगर भीनमाल स्थित आरोपी का रहवासी मकान

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तोः- नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्ताः-

(अ) नामः- श्री भीमराज

(ब) पिता का नामः- श्री भबुताराम

(स) जन्मतिथि/वर्षः- उम्र 51 वर्ष

(द) राष्ट्रीयताः- भारतीय

(य) पाटपोर्ट संख्याः--------नहीं---------------- जारी होने की तिथी ------नहीं-------------

(र) व्यवसायः- कृषि

(ल) पताः- माथाणीयों की पोल, रोपसी तहसील रानीवाड़ा पुलिस थाना भीनमाल जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9422735144

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहितः-
श्री रामस्वरुप पुत्र श्री सुखराम जाति विशनोई उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट डूंगरवा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर, हाल पटवारी पटवार हल्का रोपसी, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9511533855

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारणः- कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयांः---

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः- 16,000/- रुपये रिश्वत की मांग करना।

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) --

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट --

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महोदय

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर

विषयः- रिश्वत खोर पटवारी को रंगे हाथो पकड़वाने हेतु

महोदय

मे भीमराज भबुतारामजी पुरोहीत उम्र 51 वर्ष निवासी रोपसी तहसील रानिवाड़ा थाना क्षैत्र भीनमाल जालोर का निवेदन इस प्रकार है कि मैने खाता नं. 222 कि जमीन खसरा नं. 1648 व 1649 कि कुल 0.38 हैक्टर व खाता नं. 545 कि जमीन खसरा नं. 1844 कि कुल 0.085 हैक्टर खरीदी थी जिन दोनो जमीन का नामान्तरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी रोपसी रामस्वरुप विशनोई के करीब तीन चार महीने पहले मिला पटवारी ने मुझसे दोनो नामान्तरण खोलने हेतु ऐवज मे 16000/- सोलह हजार रु. मांगे और मांग कि तथा कहा कि 16000/- सोलह हजार रु. देणे पर ही नामान्तरण खोलुंगा वरना नहीं खोलुगा मै अपने जायज व वैध कार्य के लिये रिश्वत नही देणा चाहता हूं मै पटवारी रामस्वरुप विशनोई को रिश्वत लेते रंगे होथो पकड़वाना चाहता हूं, मेरी पटवारी से पहले से कोई जान पहचान नही और कोई मेरी पटवारी रामस्वरुप विशनोई से जाति दुश्मनी या पुरानी रंजिश नही है। और ना ही पटवारी रामस्वरुप विशनोई से कभी कोई लेन देन किया।

एसडी/-
भीमराज
पुरोहित भीमराज भबुतारामजी
निवासी रोपसी
9422735144
05/01/2023

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 05.01.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भीमराज पुत्र श्री भबुता राम जाति पुरोहित उम्र 51 वर्ष निवासी माधाणीयों की पोल, रोपसी तहसील रानीवाड़ा पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर, मोबाईल नंबर 9422735144 ने एक हस्त-लिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड कि फोटो-प्रति कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डां. महावीर सिंह राणावत , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष इस आश्य कि प्रस्तुत की कि मै भीमराज भबुतारामजी पुरोहीत उम्र 51 वर्ष निवासी रोपसी तहसील रानिवाड़ा थाना क्षैत्र भीनमाल जालोर का निवेदन इस प्रकार है कि मैने खाता नं. 222 कि जमीन खसरा नं. 1648 व 1649 कि कुल 0.38 हैक्टर व खाता नं. 545 कि जमीन खसरा नं. 1844 कि कुल 0.085 हैक्टर खरीदी थी जिन दोनो जमीन का नामान्तरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी रोपसी रामस्वरुप विशनोई के करीब तीन चार महीने पहले मिला पटवारी ने मुझसे दोनो नामान्तरण खोलने हेतु ऐवज मे 16000/- सोलह हजार रु. मांगे और मांग कि तथा कहा कि 16000/- सोलह हजार रु. देणे पर ही नामान्तरण खोलुंगा वरना नहीं खोलुगा मै अपने जायज व वैध कार्य के लिये रिश्वत नही देणा चाहता हूं , मै पटवारी रामस्वरुप विशनोई को रिश्वत लेते रंगे होथो पकड़वाना चाहता हूं, मेरी पटवारी से

पहले से कोई जान पहचान नही और कोई मेरी पटवारी रामस्वरुप विशनोई से जाति दुश्मनी या पुरानी रंजिश नही है। और ना ही पटवारी रामस्वरुप विशनोई से कभी कोई लेन देन किया। दरियाफ्त पर परिवादी श्री भीमराज ने बताया कि उक्त रिपोर्ट मैने स्वयं लिखी है तथा रिपोर्ट पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री भीमराज ने यह भी बताया कि श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी जी काफी भ्रष्ट प्रवृति के है जो बिना पैसे लिये किसी भी व्यक्ति का जायज काम नही करते है। पैसे नही देने पर लोगो को नाजायज रूप से परेशान करते है तथा जगह बजगह भटकाते रहते है। मैं करीब तीन चार महिने पहले मेरे जायज कार्य को करवाने हेतु उनसे मिला तो उन्होने दोनो नामान्तरण खोलने की एवज मे 16000/- रुपये रिश्वत की मांग की थी, अब मै उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से रिश्वत संबधी वार्ता कर लेगें। परिवादी ने यह भी बताया की संदिग्ध पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई भीनमाल मे पुलिस थाना के पिछे मालवीय नगर मे रहता है। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जालोर द्वारा कानि. श्री गुलाबसिंह नं. 140 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री भीमराज से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर मोबाईल नंबरो का आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्डर मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल टेप रिकार्डर को चलाने की प्रक्रिया भली भांति परिवादी श्री भीमराज को समझाई गई। तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री भीमराज के साथ भीनमाल पहूंचकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर भीनमाल की तरफ रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनाँक 05.01.2023 को समय 08.30 पी.एम.पर श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय परिवादी श्री भीमराज के कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया। श्री गुलाबसिंह कानि. ने डिजीटल टेप रिकार्डर बंद हालात मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि कार्यालय हाजा से मय परिवादी के रवाना होकर भीनमाल पहूंचे, परिवादी श्री भीमराज ने अपने स्तर पर मालूमात किया तो संदिग्ध पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई पुलिस थाना भीनमाल के पिछे मालवीय नगर मे अपने रहवासी मकान पर होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् कानि. मय परिवादी श्री भीमराज रवाना होकर मालवीय नगर भीनमाल पहूंचे, संदिग्ध पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई के रहवासी मकान का मालूमात किया तत्पश्चात मन् कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्ड ऑन कर परिवादी श्री भीमराज को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर संदिग्ध पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई से अपने कार्य के संबंध मे वार्ता कर वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड कर लाने हेतु संदिग्ध पटवारी के निवास स्थान की तरफ रवाना किया गया तथा मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए वहीं आस-पास परिवादी के आने के इन्तजार मे व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री भीमराज निर्धारित स्थान पर मन् कानि. के पास पहूंचा जिस पर मन् कानि. ने पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल टेप रिकार्ड परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे मे लिया।

परिवादी ने बताया की रवाना होकर संदिग्ध पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई के निवास स्थान पर पहूंचा जहां पटवारीजी उपस्थित मिले जिस पर मैने मेरी खरीद सुदा जमीन खसरा नंबर 1648, 1649 व 1844 का नामान्तरण भरवाने हेतु वार्ता की तो पटवारी श्री रामस्वरुप विशनोई ने वार्ता के दौरान कहा कि " तो मै उसमे कोई बताने की जरुरत नहीं है जो करने है वो करदो, वो कितने देने है कोई " जिस पर मैने पटवारीजी को कहा की " उस दिन सौलह हजार रुपये मांगे थे आपने, देने है दे दूंगा जो आपकी मर्जी वैसे तो " तो पटवारी जी ने दो-तीन बार कहा की " जो ऐसा है कि आपके हिसाब से देदो जो ठीक है, जो करना है करदो, अब बात ऐसी है तेरे उपर ही है जो आपको करना है वो करदो " एवं मेरे नामान्तरण भरने बाबत् महिने भर का समय लगना बताया, उक्त वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड होना बताया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित परिवादी से मांग सत्यापन के हालात पुछे तो परिवादी ने कानि. श्री गुलाबसिंह के कथनो की ताईद करते हुए उपरोक्त हालात बताये। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर उसमे रिकार्ड सुदा वार्ता को सुना तो श्री गुलाबसिंह कानि. 140 व परिवादी श्री भीमराज के कथनो की ताईद होकर उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। परिवादी ने यह भी बताया की दौराने वार्ता पटवार जी ने कहा कि इस कार्य को करने मे चार-पांच दिन लग जायेगें तथा पूरा प्रोसेस होने मे एक महिना लगता है। डिजीटल टेप रिकार्डर को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखा, वार्तालाप की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री भीमराज को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 16,000/- रुपये की व्यवस्था होने पर राशि लेकर जरिये दूरभाष वार्ता कर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर परिवादी को रुकस्त किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.01.2023 को समय 10.15 ए.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादी श्री भीमराज द्वारा दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट तथा दिनांक 05.01.2023 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड सुदा वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है, उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर परिवादी श्री भीमराज के मोबाईल नंबर 9422735144 पर संपर्क कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को आदेश/निर्देश प्रदान किये गये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड सुदा वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुना गया तो वार्ता रिकोर्ड होना पाया गया, आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट मूर्तिब करने तथा परिवादी से संपर्क कर ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर पत्रावली व डिजीटल टेप रिकार्डर मन् दीनदयाल, निरीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात दिनांक 10.01.2023 को समय 11.00 ए.एम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भीमराज से जरिये वाट्सअप कालिंग वार्ता की गई तो परिवादी श्री भीमराज ने बताया की मेरे रिश्तेदारी मे मौत हो जाने से सामाजिक कार्यक्रम संपन्न कर आपके समक्ष अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाऊंगा।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2023 को समय 10.30 ए.एम.पर परिवादी श्री भीमराज कार्यालय हाजा मे मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया की पूर्व मे मेरे रिश्तेदारी मे मृत्यु होने तथा मेरी माताजी का स्वर्गवास होने से मै कार्यवाही हेतु कार्यालय मे उपस्थित नहीं हो सका। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 30.01.2023 को श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी के मिलने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि क्या आपने श्री रामस्वरुप पटवारी जी के खिलाफ एसीबी मे रिपोर्ट की है ? तब मैने उनको बताया की मैने पटवारी जी के खिलाफ एसीबी मे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है। तब उन्होने बताया की रामस्वरुप पटवारी जी ने मुझे कहा था कि मेरे खिलाफ भीमराज ने एसीबी मे शिकायत दी है, आप भीमराज को समझाना ऐसी कोई बात नहीं है मैने किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नहीं की है। परिवादी ने यह भी बताया की श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी को मेरे द्वारा की गई शिकायत के बारे मे शक हो चुका है इसलिए अब श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी मेरे से रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगें इसलिए अब मै आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूँ। परिवादी के बताये हुए तथ्यों के बारे मे उच्च अफसरान को हालात अर्ज किये गये। चुंकी परिवादी श्री भीमराज द्वारा दिनांक 05.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर मे संदिग्ध श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी पटवार हल्का रोपसी की रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित मे मूर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 155 दिनांक 31.01.2023 के जिला आबकारी अधिकारी जालोर के नाम तहरीर मूर्तिब कर गवाह तलब कर लाने हेतु श्री कालूराम कानि. नं. 477 को रवाना किया गया जो कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर के आदेश क्रमांक 316 दिनांक 31.01.2023 के उपस्थित आया तथा बताया की गवाहान क्रमशः श्री नितिन सिंह राठौड़ कनिष्ट सहायक तथा श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर को मनोनित किया गया है जो दोनो गवाहान बाद दोपहर कार्यालय मे उपस्थित हो जायेगें। ताबाद समय 02.30 पी.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहान मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय मे उपस्थित आये, दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो क्रमशः श्री नितिन सिंह राठौड़ पुत्र श्री फतेहसिंह राठौड़ उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी सुमेल तहसील रायपुर, पुलिस थाना रास जिला पाली, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर जिला जालोर, मो.नं. 7737556564 तथा श्री गोपाल परिहार पुत्र श्री केराराम उम्र 29 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बाकरा गांव तहसील जालोर, पुलिस थाना बागरा जिला जालोर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर जिला जालोर, मो.नं. 8107126612 होना बताया। उपस्थित परिवादी श्री भीमराज से दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस मे परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया तथा पढाया गया एवं दिनांक 05.01.2023 को परिवादी श्री भीमराज तथा संदिग्ध श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुनाया गया जिस पर वार्तालाप के मुख्याशं सुनने के पश्चात दोनो गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी

सहमति प्रदान की। ताबाद समय 03.15 पी.एम. पर मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री भीमराज एवं स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह राठौड व श्री गोपाल परिहार की उपस्थिति मे दिनांक 05.01.2023 को परिवादी श्री भीमराज व संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी के मध्य रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड है को सुन-सुनकर समझकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री भीमराज द्वारा की गई। उपरोक्त एक मूल पेन ड्राईव सफेद कपडे की थैली मे शील्ड सुदा एवं एक डब पेन ड्राईव खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री मोहनलाल हैड.कानि. नं. 93 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात दिनांक 31.01.2023 को समय 04.30 पी.एम. पर उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी को शक हो जाने से अग्रीम कार्यवाही संभव नहीं होने तथा अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री भीमराज एवं स्वतंत्र गवाह सर्व श्री नितिन सिंह राठोड कनिष्ट सहायक व श्री गोपाल परिहार कनिष्ट सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जालोर को रुकस्त किया गया।

उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री भीमराज के खाता नं. 222 कि जमीन खसरा नं. 1648 व 1649 कि कुल 0.38 हैक्टर व खाता नं. 545 कि जमीन खसरा नं. 1844 कि कुल 0.085 हैक्टर खरीद सुदा भूमि का नामान्तरण भरने की एवज मे संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी पटवार हल्का रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर द्वारा परिवादी के जायज कार्य को करने कि एवज मे अपने पद का दुरुपयोग कर परिवादी श्री भीमराज से दिनांक 05.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान 16,000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग करना संदिग्ध आरोपी श्री रामस्वरुप विशनोई पटवारी पटवार हल्का रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर का उक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। सेवा विवरण/रेकर्ड अनुसार उक्त आरोपी का नाम व पदनाम रामस्वरुप, पटवारी (भू.अ.) पटवार हल्का रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर होना पाया गया।

अतः श्री रामस्वरुप पुत्र श्री सुखराम जाति विशनोई उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट डूंगरवा, तहसील बागोडा, जिला जालोर, हाल पटवारी(भू.अ.) पटवार हल्का रोपसी, तहसील रानीवाडा जिला जालोर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) मे बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय

(दीनदयाल)

निरीक्षक पुलिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सुखराम, पटवारी, पटवार हल्का रोपसी, तहसील रानीवाडा जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 84/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13/4/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 666-69 दिनांक 13.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जालोर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

13/4/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।